"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2014—चैत्र 14, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, महात्मा साहू आत्मज श्री गोपाल प्रसाद, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम-ठरकपुर, पो.-सलौनी कला, तहसील-बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.) हाल मुकाम थाना जामुल भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं छ.ग. पुलिस में आरक्षक के पद पर थाना जामुल में पदस्थ हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम महात्मा साहू अंकित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मयंक साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मयंक साहू आत्मज गोपाल प्रसाद साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
महात्मा साहू आत्मज-श्री गोपाल प्रसाद साहू निवासी-थाना जामुल, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	मयंक साहू आत्मज-श्री गोपाल प्रसाद साहू निवासी-थाना जामुल, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रमोद वंजारी (Pramoad Wanjari) पिता श्री गणपति वंजारी, आयु 34 वर्ष, निवासी-ई.डब्लू.एस. 14/5, नेहरू नगर ईस्ट भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, बी.एस.पी. के सर्विस रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम प्रमोद कुमार दर्ज किया गया है तथा मेरे पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स एवं आधार कार्ड में मेरा नाम प्रमोद कुमार वंजारी (Pramoad Kumar Wanjary) दर्ज किया गया है जिसमें सरनेम की स्पेलिंग Wanjari के स्थान पर Wanjary दर्ज किया गया है वह गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम प्रमोद वंजारी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे प्रमोद वंजारी (Pramod Wanjari) पिता श्री गणपति वंजारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
प्रमोद कुमार/प्रमोद कुमार वंजारी पिता-श्री गणपति वंजारी निवासी-ई.डब्लू.एस. 14/5, नेहरू नगर ईस्ट भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)	प्रमोद कुमार (Pramod Wanjari) पिता-श्री गणपति वंजारी निवासी-ई.डब्लू.एस. 14/5, नेहरू नगर ईस्ट भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मिर्जा इश्तियाक (Mirza Ishtiyak) आत्मज श्री नियाज अहमद, आयु 46 वर्ष, निवासी जामा मस्जिद के पीछे, पठानपारा वार्ड नं. 34, राजनांदगांव वर्तमान पता श्रीमती नजमा मो. इकबाल चेकर का मकान, मौदहापारा, वार्ड नं. 36, बाड़ी के पास रायपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं रायपुर में सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदस्थ हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मिर्जा इश्तियाक अहमद बेग (Mirza Ishtiyaque Ahmed Baig) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मिर्जा इश्तियाक अहमद बेग (Mirza Ishtiyaque Ahmed Baig) आत्मज मिर्जा नियाज अहमद बेग (Mirza Niyaz Ahmed Baig) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मिर्जा इश्तियाक (Mirza Ishtiyak) आत्मज-नियाज अहमद (Niyaz Ahmed) निवासी-जामा मस्जिद के पीछे, पठान पारा वार्ड नं. 34 राजनांदगांव (छ.ग.), वर्तमान निवास मौदहापारा रायपुर	मिर्जा इश्तियाक अहमद बेग (Mirza Ishtiyaque Ahmed Baig) आत्मज-मिर्जा नियाज अहमद बेग निवासी-जामा मस्जिद के पीछे, पठान पारा वार्ड नं. 34 राजनांदगांव (छ.ग.), वर्तमान निवास मौदहापारा रायपुर

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राम प्रसाद राणा आत्मज स्व. श्री शोभाराम, माता श्रीमती सुगरता, निवासी आवास क्रमांक डी-02, एच.टी.पी.एस. कालोनी, विद्युत नगर कोरबा पश्चिम जिला कोरबा (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरा घरेलू नाम राम प्रसाद है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम राणा जोड़कर अपना नया नाम राम प्रसाद राणा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राम प्रसाद राणा आत्मज स्व. श्री शोभाराम राणा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
राम प्रसाद आत्मज-स्व. श्री शोभाराम, माता-श्रीमती सुगरता निवासी-आवास क्र. डी-02, एच.टी.पी.एस . कालोनी विद्युत नगर कोरबा पश्चिम, जिला कोरबा (छ.ग.)	राम प्रसाद राणा आत्मज-स्व. श्री शोभाराम राणा, माता-श्रीमती सुगरता राणा निवासी-आवास क्र. डी-02, एच.टी.पी.एस . कालोनी विद्युत नगर कोरबा पश्चिम, जिला कोरबा (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 24 मार्च 2014

प्रारूप क्र. -पांच
(देखें नियम 45)

[छ.ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के समक्ष

क्रमांक/714/प्रवा-1/अ.वि.अ./2014.—अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ.ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) बी-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं बी. एल. गजपाल लोक न्यासों का पंजीयक राजनांदगांव जिला राजनांदगांव मेरे न्यायालय में दिनांक 14-03-14 के दिवस शनिवार पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कर्मचारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति का सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन

प्रस्तुत करना चाहिए, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	कर्मवीर श्री मानकलाल चोपड़ा स्मृति ट्रस्ट-राजनांदगांव (छ.ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

बी. एल. गजपाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2014

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2013-2014

क्रमांक/452/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2014.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गोपाल अग्रवाल आत्मज श्री रामजीलाल अग्रवाल निवासी श्री पुरन दाल मिल, रामसागर पारा, रायपुर जिला रायपुर ने "छात्र कल्याण न्यास" विद्यार्थी सदन, देवेन्द्र नगर सेक्टर 3 रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4(1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से दिनांक 28-04-2014 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19-03-2014 को जारी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"छात्र कल्याण न्यास" विद्यार्थी सदन, देवेन्द्र नगर सेक्टर-3, रायपुर तहसील व जिला रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	5000/- रु. नगद.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

एस. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.